सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
ज्येष्ठ 27, शुक्रवार, शाके 1944-जून 17, 2022 *Jyaistha 27, Friday , Saka 1944- June 17, 2022*	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

वन विभाग

विज्ञप्ति

जयपुर, मई 23, 2022

संख्या 2(1) वन/2022:-चूंकि निम्नलिखित अनुसूची में दिखाई गई वन भूमि सरकार की सम्पति है अथवा उनमें सरकार के स्वामित्व है अथवा सरकार उनकी सम्पूर्ण वन उपज अथवा किसी अंश की स्वामित्वधारी (Entitled) है ।

और चुंकि पूर्वोक्त भूमि में अथवा उस पर सरकारी अथवा व्यक्तियों के अधिकारों की सीमा तथा स्वरूप अभी तक किसी भी प्रकार से लेखबद्व ही किये गये है।

और चुंकि सरकार यह भी विचार रखती है कि पूर्वोक्त वन भूमि अथवा बंजर भूमि में अथवा उस पर सरकार या व्यक्तियों के अधिकारों की सीमा तथा स्वरूप में जांच किया जाना तथा उन्हे लेखबद्ध किया जाना आवश्यक है । परन्तु चूंकि इन कार्यो के सम्पादन में जितना समय लगेगा उस बीच में सरकार के अधिकारों को क्षति पहुंचाने की आशंका है ।

इसलिए अब राजस्थान फोरेस्ट एक्ट 1953 (1953 का एक्ट संख्या 13) की धारा 29 की उपधारा (3)के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सरकार इसके द्वारा फोरेस्ट सेटलमेंट ओफिसर को पूर्वोतर वनभूमि अथवा बंजर भूमि में या उन पर सरकारी तथा वैयक्यिों के अधिकारों की जांच करके उन्हें लेखबन्द करने हेतु नियुक्त करती हैं। तथा ऐसी जांच तथा अभिलेखन तथा साक्ष्य उसी प्रणाली में किया जावेगा। जैसा कि उक्त एक्ट की धारा 6, 7, 8, 10, 11 (1), 12, 13, 14, 17, 18 तथा 19 में प्रवाहित है।

और एक्ट की धारा 29 की उपधारा (3) के परन्तुक द्वारा (proviso) प्रदत्त शक्तियों के अग्रेत्तर अनुसरण में राजस्थान सरकार उक्त जांच तथा अभिलेख सम्पादित होने तक उक्त वन भूमि और बंजर भूमि को इस विज्ञप्ति द्वारा रक्षित वन घोषित करती है। परन्तु इससे किसी व्यक्ति या वर्ग विशेष के वर्तमान अधिकारों में किसी भी प्रकार की कमी नहीं आयेवी। और न उस पर कोई प्रभाव पडेगा।

और सरकार उक्त एक्ट की धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अग्रेतर अनुसरण में यह घोषणा करती है कि उक्त संरक्षित वन के ये वृक्ष संलग्न द्वितीय अनुसूची में अंकित किये गये है। राज-पत्र में इस विज्ञप्ति के प्रकाशन की तारीख में आरक्षित है और पूर्वोतर तारीख से उक्त वन में पत्थरों को

हटाया जाना अथवा चूना या कोयला जलाया जाना अथवा किसी प्रकार की वन उपज का संग्रहित किया जाना अथवा उसे किसी निर्माण अथवा पशुपालन अथवा किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए खण्डित किया जाना अथवा साफ किया जाना निषिद्ध करती हैं ।

संलग्नः- प्रथम अनुसूची (वनभूमि और बंजर भूमि)

द्वितीय अनुसूची (संरक्षित वृक्ष)

राज्यपाल की आज्ञा से,
बी प्रवीण,
शासन सचिव,
वन विभाग,
राजस्थान सरकार, जयपुर।

प्रथम अनुसूची								
क्रसं	नाम	नाम ब्लाक	नाम तहसील	नाम जिला	सीमा	विवरण		
1.	सिंगोला	रक्षित वनखण्ड सिंगोला बी	खानपुर	झालावाड़	पूर्वः- राजस्व भूमि पश्चिमः- नदी उत्तरः- राजस्व भूमि दक्षिणः- नदी	खसरा नं.	क्षैत्रफल (बीघा में)	क्षैत्रफल (हे0 मे)
						228	21 बीघा 11 बीस्वा	3.4884
						233	49 बीघा 18 बीस्वा	8.0775
							71 बीघा 9 बीस्वा	11.5659

हस्ताक्षर
राजेन्द्र कुमार मीणा
क्षेत्रीय वन अधिकारी
खानपुर

हस्ताक्षर
संग्राम सिंह कटियार
उप वन संरक्षक
झालावाड़ (राज॰)

द्वितीय अनुसूची रक्षित वनखंड सिंगोला.बी

पेडो की सूची

क्रम संख्या	वनस्पतिक नाम	हिंदी का नाम
1	Acacia nilotica	देषी बबूल
2	Prosopis juliflora	विलायती बबूल
3	Ziziphus muaritiana	झाड़ी बेर
4	Balanities aegyptiaca	हिंगोट
5	Acacia leucophloea	रोझ
6	Azadirachtaindica,	नीम

हस्ताक्षर
राजेन्द्र कुमार मीणा
क्षेत्रीय वन अधिकारी
खानपुर

हस्ताक्षर
संग्राम सिंह कटियार
उप वन संरक्षक
झालावाड़ (राज॰)

कार्यालय उप वन संरक्षक, झालावाड़

<u>प्रमाण- पत्र</u>

जिला :- झालावाड़
तहसील :- खानपुर
रेंज :- खानपुर
रक्षित वनखण्ड :- सिगोला बी
रेंज :- सिगोला

1. संलग्न प्रारूप में दर्शाई गई भूमि का प्रत्यावर्तन प्रकरण परवन मध्यम सिंचाई परियोजना के विरूद्व प्राप्त गैर वनभूमि है जिसका वन विभाग के नाम अमल दरामद की जा चकी है। भूमि की किस्म गे. मु0 जंगलात है।

2. वर्तमान राजस्व लेखों में महकमा जंगलात दर्ज है। मौके पर विभाग द्वारा वृक्षारोपण विकास कार्यो के कराये जाने की संभावना है। इस क्षेत्र में वर्तमान मे अतिक्रमण अथवा खनन कार्य नहीं हो रहे है। इस क्षेत्र का राजस्व जमाबन्दी में महकमा जंगलात कर दिया है।
3. भूमि पर वृक्षों का घनत्व 0.0 से 0.2 है।
4. वनखण्ड का मानचित्र नक्षा संलग्न हैं जिसमें खसरा नं. व रकबा दर्ज है। एवं जी. टी॰ शीट की छायाप्रति संग्लन है।
5. प्रतावित वनों के प्रारूप यथा विधि पूर्व में नही भेजने के कारण रहे है। किन्तु अब उल्लेखित वन क्षेत्रों केा कानूनी स्वरूप देने हेतु प्रचलित नियमों के अनुरूप शासकीय गजट में प्रकाशन होना नितान्त आवष्यक हैं। जिससे जिले की भूमि पर विभाग का साक्ष्य सिध्द हो सके ।
6. इस भूमि का पूर्व में राजपत्र में प्रकाशन नहीं हुआ है ।

हस्ताक्षर	हस्ताक्षर
राजेन्द्र कुमार मीणा	संग्राम सिंह कटियार
क्षेत्रीय वन अधिकारी	उप वन संरक्षक
खानपुर	झालावाड़ (राज॰)

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय,जयपुर।